



१

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

प्र.क्र.

R 413 - I-17

रघुवीरसिंह तनय गज्जू आदिवासी (रावत)
निवासी ग्राम मुहासा तह. बीना जिला सागर

.....निगरानीकर्ता / आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर सागर जिला सागर द्वारा प्रकरण क्र 318/बी-121/11-12 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :—

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मुहासा स्थित भूमि खसरा क्र 61 रकवा 1.13 है. पट्टा पर प्राप्त भूमि है तथा राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम पर भूमिस्वामी स्वामित्व में दर्ज भूमि है। उक्त भूमि में से रकवा 0.61 भूमि को विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कलेक्टर सागर द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।
2. यह कि, कलेक्टर सागर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
3. यह कि, कलेक्टर को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्ता जिस भूमि को विक्रय करना चाहता है वह भूमि पूर्णतः कृषि भूमि नहीं है तथा निगरानीकर्ता द्वारा अत्याधिक श्रम व धन व्यय कर उसे काबिल काश्त बनाने की

फैस

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश —गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. ५३-॥२ जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१.२.१७	<p>1— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी प्रकरण क्लेक्टर सागर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 318 / बी-121 / वर्ष 11-12 में के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की भूमि ग्राम मौजा मुहासा खसरा क्र 61 रकवा 1.13 है में स्थित है जो कि उसको पटटे पर प्राप्त भूमि है तथा प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान में आवेदक के नाम पर दर्ज भूमि है जिसमें से रकवा 0.61 है भूमि को विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित क्लेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।</p> <p>उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि आवेदक की पत्नि अत्याधिक बीमार रहती है जिसके इलाज हेतु उसको पैसों की आवश्यकता होने से उसके द्वारा कुछ पैसा उधार लिया गया है तथा वर्तमान में भी उसके इलाज हेतु पैसों की आवश्यकता है साथ ही भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहती हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके तथा अपनी पत्नि का ठीक तरीके से इलाज कर सके। आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान में उसकी पत्नि स्वास्थ अत्यन्त खराब हो गया है जिस</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>कारण से इलाज हेतु उसे पैसों की अत्यन्त आवश्यकता है। चूंकि वह भूमि को विक्रय करने के उपरान्त उतनी ही अधिक उससे ज्यादा भूमि क्रय करेगी इस प्रकार उसके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया आवेदक का भूमि विक्रय की अनुमति प्रदाय किए जाने का आवेदन पत्र लंबित होने से वह अपना सही तरीके से पैसों के आभाव में अपनी पत्ति का इलाज नहीं कर पा रहा है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण को लंबित रखना चाहते हैं। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय का इकरार भी किया गया है। उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>3- उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा उसकी स्वर्गित भूमि नहीं है। आवेदक द्वारा अपनी पत्ति की अस्वाधता के संबंध में शपथपत्र भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार बीना के प्रतिवेदन की प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज भूमि है एंव वह अपनी भूमि को विक्रय करना चाहती है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि प्रकरण करीब पांच वर्ष से लंबित है जो कि सरल व सुलभ न्याय के विपरीत है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अथवा उससे भी अधिक अन्य भूमि अपने निवास स्थान के समीप क्रय करेगा इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p>	

-4-

R 413-II

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक को ग्राम मुहासा स्थित भूमि खसरा क्र 61 रकवा 1.13 है में से 0.61 है भूमि विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाइन के मान से विक्रयधन विक्रेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p style="text-align: left;"></p>	